संख्या- 1002 /9-8-2023-भ्जा/23

प्रेषक,

डा. राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 02 जून, 2023

विषय:- प्रदेश के समस्त नगर निगमों में बिना रजिस्ट्रेशन से संचालित पेट शॉप को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई नगर निगमों में श्वानवंशीय पशुओं के प्रजनन एवं विक्रय से सम्बन्धित अपंजीकृत पेट शॉप बड़ी संख्या में संचालित हो रहे हैं जिन्हें रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। शासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है।

2- उल्लेख किया जाना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम-2017 के प्रस्तर- 13 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम-2018 के प्रस्तर-14 में पेट शॉप के प्रजनन एवं विक्रय हेतु निम्नलिखित व्यवस्थायें की गयी है।

1- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम-2017, प्रस्तर- 13 के अनुसार प्रजनन के लिए प्रजनन करने या रखे जाने वाले श्वानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या किए गए जाने से आशयित स्थापन को स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रजनक ने राज्य बोर्ड से इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

2- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम-2018, प्रस्तर-14 के अनुसार किसी भी पालतू पशु दुकान को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक पालतू पशु दुकान ने नियमों के अनुसार राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो।

3- इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 28-02-2023 को निर्गत एस.ओ.पी. के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-7 में श्वान के पंजीकरण एवं पालन तथा पालतू पशु दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम-2017 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम-2018 में उल्लिखित प्रावधानों तथा शासन द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर निगमों में संचालित अपंजीकृत पेट शॉप्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की मासिक सूचना संकलित करने का कष्ट करें एवं संकलित आख्या प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि श्वानवंशीय पशुओं के प्रजनन एवं विक्रय के सम्बन्ध में ए.डब्लू.बी.आई. से पंजीकृत विपणन केन्द्र तथा नागर निकाय द्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही श्वानों के प्रजनन/विपणन की अनुमति दी जाए इसके अतिरिक्त नगर निगम सीमा क्षेत्र में जो भी पेट शॉप/विक्रय केन्द्र पाए जाए , उन्हें अनियमित मान कर नियमानुसार उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।